संख्या-48/2025/761/2025-001-27-10002(002)/10/2024-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-उरई, जालौन, बदायूं एवं गोण्डा के राजकीय नलकूप नलकूपों के आधुनिकीकरण एवं जल वितरण प्रणाली की 04 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1304/03-72एफ.क्यू./जालौन 55 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2025, पत्रांक-1302/03-72एफ.पी./जालौन 50 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2025, पत्रांक-1329/03-72एफ.आर./बदायूँ 35 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 02.05.2025 एवं पत्रांक-1096/03-72ई.यू./जनपद-गोण्डा 50 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 05.05.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-उरई, जालौन, बदायूं एवं गोण्डा के राजकीय नलकूप नलकूपों के आधुनिकीकरण एवं जल वितरण प्रणाली की निम्नलिखित 04 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0317-24 "राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार'' में प्राविधानित धनराशि रू0 12500.00 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 4,16,13,000/- (रूपये चार करोड़ सोलह लाख तेरह हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजा का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट (परियोजना हेतु धनराशि)	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध /पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	नलकूप खण्ड-प्रथम, उरई के अन्तर्गत जनपद-जालौन के 55 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	12500.00 (**144.36**)	131/2024/2404/002-27-10002(002)/10/2024-10, दिनांक 23.09.2024	289.87 (a)/ 245.17 (b)	289.30	0.57	144.94	144.36	94-4702-102-03-0317-24	**144.36**
2	जनपद जालौन के विधान सभा-माधौगढ़ के अन्तर्गत 50 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	12500.00 (**122.17**)	131/2024/2404/002-27-10002(002)/10/2024-10, दिनांक 23.09.2024	245.32 (a)/ 207.48 (b)	244.83	0.49	122.66	122.17	94-4702-102-03-0317-24	**122.17**
3	जनपद बदायूं के नलकूप खण्ड–प्रथम, बदायूं में 35 राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं जर्जर पम्प सेट	94-4702-102-03-0317-24	12500.00 (**59.00**)	131/2024/2404/002-27-10002(002)/10/2024-10, दिनांक 23.09.2024	118.48 (a)/ 100.20 (b)	118.24	0.24	59.24	59.00	94-4702-102-03-0317-24	**59.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	व विद्युत उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना										
4	नलकूप खण्ड गोण्डा के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 50 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उपकरणों के प्रतिस्थापना की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	12500.00 (**90.60**)	127/2024/2270/001-27-10002(002)/10/2024-10, दिनांक 03.09.2024	182.20 (a)/ 153.98 (b)	181.70	0.50	91.10	90.60	94-4702-102-03-0317-24	**90.60**
कुल धनराशि											**416.13**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध -</u>

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-131/2024/2404/002-27-10002(002)/12/2024-10, दिनांक 23.09.2024 एवं संख्या-127/2024/2270/001-27-10002(002)/12/2024-10, दिनांक 03.09.2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,16,13,000 (रुपये चार करोड़ सोलह लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4702001020317 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

<u>संख्या- 48 /2025/761(1)/2025-001-27-10002(002)/10/2024-10, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, **<u>द्वारा</u>**- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।